**(वाद सं0.-1107/4/32/2021)**

12.01.2022

प्रसंगाधीन मामला पटना जिलान्तर्गत दानापुर थाना के थाना प्रभारी द्वारा विपक्षियो के मेल में आकर बनावटी, फर्जी एवं निराधार कागजात का हवाला देते हुए गैर कानूनी ढंग से परिवादी, अमन कुमार, के खरीदी गयी जमीन पर निर्माण कार्य किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारो, दानापुर, पटना एवं पु0नि0सह थानाध्यक्ष निरीक्षक, दानापुर थाना** के प्रतिवेदनानुसार " **परिवादी श्री अमन कुमार पिता स्व0 शिव प्रसाद राय सा0 सराय साहो थाना दरियापुर जिला छपरा परिवाद प्राप्त हुआ। प्राप्त परिवाद की जांच किया गया। जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि परिवादी के मोबाईल नंबर 9047742285 एवं परिवादी के सहयोगी सुन्दर प्रसाद के मोबाईल नंबर 89339550087 से दिनांक–2.1.21 को संपर्क किया गया। जिस क्रम में परिवादी एवं उनके सहयोगी के द्वारा बताया गया कि दिनांक–2.1.21 को थानास्तर पर आयोजित भुमि विवाद से संबंधित गोष्ठी में दोनो पक्ष इकट्ठे हुये थे जिसक्रम में अंचलाधिकारी दानापुर एवं थानाध्यक्ष दानापुर की उपस्थिति में दोनो पक्षो के बीच समझौता करा दिया गया है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।** "

अब जबकि परिवादी की समस्या का संतोषजनक समाधान संबधित प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ–14–11/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**निबंधक**